अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 3/2018-राज्य कर (दर)

सं. फा. **03(91)/**वित्त**(**राज**.-1)/2017-18/**डीएस**-VI/98**.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं. फा. 03(15)/ वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/379, तारीख 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5क	दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति।

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

'(च) किसी "बीमा अभिकर्ता" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है।'।

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं0फा0 03(15)/ वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/379, तारीख 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 12 दिसंबर, 2017 जिसे सं0फा0 03(46)/ वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/807, 12 दिसंबर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 3/2018- State Tax (Rate)

No. F. 3(91)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/98.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017.”;

(ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

'(f) "insurance agent" shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).'.

2. This notification shall come into force with effect from the 25th day of January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 – State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, *vide* number No. F. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30thJune, 2017 and was last amended by notification No. 33/2017 – State Tax (Rate), dated the 12th December, 2017 *vide* number No. F. 3(46)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/807 dated the 12th December, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

संख्या 4/2018–राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(92)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/99.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को अर्थात :-

(क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णत: या अंशत:, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और

(ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णत: या अंशत: विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करते हैं जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर राज्य कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने की किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है।